

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार,
अधीक्षक,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना
निदेशक,
लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डि अस्पताल राजवंशीनगर, पटना।
अधीक्षक,
न्यू गार्डिनर रोड, सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, पटना।
निदेशक,
राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

पटना, दिनांक 14 / 12 / 2018

विषय : विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित चिकित्सकों की सूची पर आपत्ति दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सकों की सूची विहित प्रपत्र में विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें निम्नांकित सूचनाएँ दर्ज हैं—

- (1) नाम
- (2) सिविल लिस्ट सं०/नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक सहित
- (3) पदनाम
- (4) गृह जिला
- (5) प्रकार (सामान्य/विशेषज्ञ)
- (6) आरक्षण कोटि (अनारक्षित/एससी/एसटी/बीसी/एम.बी.सी. इत्यादि) नियुक्ति के आधार पर।
- (7) नियमित/संविदा
- (8) HRIS Person Id (अगर बनाया गया हो)
- (9) जिला/संस्थान में पदस्थापन स्थान एवं तिथि
- (10) जिला में वास्तविक पदस्थापन स्थान (अगर प्रतिनियुक्ति किया गया हो तो)

2. उक्त सूचनाओ को समेकित करते हुए सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गयी है। उक्त समेकित सूची में अगर आपके चिकित्सा संस्थान में कार्यरत चिकित्सको के संबंध में दर्ज सूचनाओं में यदि कोई गलत सूचना अंकित हो तो इस संबंध मे अपनी आपत्ति विभागीय वेबसाईट पर www.health-bih@nic.in प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त सूचनाओं मे से आरक्षण कोटि के संबंध में विशेष रूप से जाँच कर ली जाय इसी आरक्षण कोटि के आधार पर आगे विभाग स्तर से चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेस का कार्य किया जाएगा।

4. आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे यह मानते हुए कि प्रकाशित सूचनाएँ सही है अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार)
12-2-2018